**प्रेषक,**

**सुरेश कुमार पाण्डेय**
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक- 30 जून, 2016**

**विषय-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त रू0 31.8720 करोड़ (राज्यांश) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-780/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2016-17, दिनांक-13.06.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त रू0 31,87,20,000.00 (रूपये इक्तीस करोड सत्तासी लाख बीस हजार मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

**(1)-** धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जायेगा, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जायेगा।

**(2)-** स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुये किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

**(3)-** व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

**(4)-** स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

**(5)-** उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जायेगा।

**2-** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-566-दस/2016, दिनांक-29 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त**

**भवदीय**,

**सुरेश कुमार पाण्डेय**
संयुक्त सचिव।

**-2/**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-37/2016/ पी-417 (1)/अड़तीस-9-2016, तद दिनांक।**

**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**1-** महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

**2-** सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।

**3-** निदेशक (ग्रामीण सम्पर्कता), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

**4**- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।

**5-** मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

**6-** निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

**7-** वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1

**8**- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।

**9-** गार्डबुक।

**आज्ञा से,**

**सुरेश कुमार पाण्डेय**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)**

**पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति**

**(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)**

**वित्तीय वर्ष 2016-2017**

**अनुदान संख्या व नाम: 13-ग्राम्य विकास विभाग** **(धनराशि हजार रूपये में)**

| **निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण** | | | | **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।** | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनागत | आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध मूल अनुदान/विनियोग | आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **"5054-** सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-<br>**04**- जिला तथा अन्य सड़कें-<br>**337**- सड़क निर्माण कार्य-<br>**02**- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-<br>**0201-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)- | | | | | |
| **24-** वृहत निर्माण कार्य | 14845700 | 318720 | 318720 | 318720 | 14526980 |
| **योग-** | **14845700** | **318720** | **318720** | **318720** | **14526980** |

| **निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण** | | | | **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।** | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान /विनियोग (8+11) |
| **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **"5054-** सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-<br>**04**- जिला तथा अन्य सड़कें-<br>**337**- सड़क निर्माण कार्य-<br>**03**- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)- | | | | | |
| **24-** वृहत निर्माण कार्य | 5041700 | 5360420 | 318720 | 318720 | 5360420 |
| **योग-** | **5041700** | **5360420** | **318720** | **318720** | **5360420** |

**-2/**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**(1)- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-**

अनुदान संख्या-13 मद में कुल बजट प्राविधान रू0 1484.57 करोड़ के सापेक्ष अन्नतिम रूप से बचत सम्भावित हुयी है।

**(2)- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-**

आवश्यकता के अनुरूप बजट प्राविधान न होने के दृष्टिगत भारत सरकार से उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

**(3)- प्रमाणित किया जाता है कि** उपर्युक्त में उत्तर प्रदेश बजट **संख्या-R.E-41 /ई-2-566-दस/2016, दिनांक- 29 जून, 2016** मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

**सेवा में,**

**महालेखाकार,**
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद ।

| | |
|---|---|
| **सुरेश कुमार पाण्डेय** | **अविनाश चन्द्र द्विवेदी** |
| **संयुक्त सचिव** | **संयुक्त सचिव** |
| **ग्राम्य विकास विभाग** | **वित्त विभाग** |
| **उ0प्र0 शासन।** | **उ0प्र0 शासन।** |

**संख्या:-37/2016/ पी-417 (2)/अड़तीस-9-2016-05 (बजट)/2015, दिनांक- 30 जून, 2016**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
4 - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6 - वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

**सुरेश कुमार पाण्डेय**
**संयुक्त सचिव,**
**ग्राम्य विकास विभाग**
**उ0प्र0 शासन।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in